

कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, हरदोई।

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि सेशन हाअस एवं जजेज कालोनी हरदोई परिसर में गिरे हुये एवं कटे हुये वृक्षों की लकड़ी की नीलाम दिनांक 18-12-2020 को समय 4:30 बजे सायं दस कक्षीय न्यायालय भवन के भूतल पर स्थित सभागार कक्ष में किया जावेगा। नीलाम योग्य सेशन हाउस एवं जजेज कालोनी हरदोई परिसर में गिरे हुये एवं कटे हुये वृक्षों की लकड़ी की धरोहर धनराशि सहित विवरण निम्नवत् है:-

| क्रम सं० | वृक्षों की लकड़ी का विवरण | मात्रा/संख्या | धरोहर धनराशि |
|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | सिरसा | 9 बोटा | रु० 5000.00 |
| 2 | जंगल जलेबी तना | 2 बोटा | |
| 3 | गुलर | 3 बोटा | |
| 4 | शीशम | 3 बोटा | |
| 5 | इमली की डाल गिरी हुई एवं वृक्ष | कटा हुआ इमली का सम्पूर्ण वृक्ष | |
| 6 | खिन्नी | 6 बोटा | |
| 7 | गुलमोहर जजेज कालोनी परिसर | 20 बोटा | |

नीलाम की शर्तें निम्नवत् हैं:-

- 1 नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को नीलामी में सम्मिलित होने के पूर्व सारणी में अंकित धरोहर धनराशि नकद केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करना अनिवार्य है।
 - 2 नीलामी स्वीकृत होने के उपरान्त सारणी में अंकित सामग्री के अधिकृत न्यायालय कर्मचारी के समक्ष वजन करवाये जाने हेतु ले जाने व लाने का व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।
 - 3 नीलामी हेतु उच्चतम बोली स्वीकार की जायेगी किन्तु किसी भी नीलामी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
 - 4 नीलामी बोली स्वीकृत होने के उपरान्त समस्त धनराशि तीन दिन के अन्दर केन्द्रीय नाजिर के पास जमा करनी होगी।
 - 5 नीलामी स्वीकृत धनराशि जमा करने के उपरान्त तीन दिन के अन्दर सामग्री सेशन हाउस एवं जजेज कालोनी हरदोई परिसर से उठा ले जाना होगा अन्यथा जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहीत कर ली जाएगी।
- इच्छुक सभी व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में नीलामी हेतु वृक्षों की लकड़ी का निरीक्षण करने हेतु केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट हरदोई में सम्पर्क कर सकते हैं।

दिनांक: 02-12-2020

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)

अध्यक्ष क्रय समिति/

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी०

(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु :

1. नोटिस बोर्ड जिला जज हरदोई।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला अधिकारी हरदोई।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदोई।
4. नोटिस बोर्ड समस्त तहसीलदार, हरदोई।
5. नोटिस बोर्ड जिला पंचायत कार्यालय, हरदोई
6. जिला जन सूचारा अधिकारी हरदोई वास्ते दैनिक समाचार पत्र में निशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर जनपद न्यायालय हरदोई को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की बेबसाइड पर प्रकाशन हेतु।


(अखिलेश कुमार पाण्डेय)

अध्यक्ष क्रय समिति/

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी०

(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।